सत्यमेव जयते

THE
JHARKHAND GAZETTE

EXTRAORDINARY

PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 114 **19 Poush, 1940(S)**

Ranchi, Friday, 8th February, 2019

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION

8th February, 2019

Notification No. 1/2019 – State Tax

S.O. No. 21 Dated.- 8th February, 2019-- In exercise of the powers conferred by section 147 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government of Jharkhand, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment in the Notification No. -48/2017- State Tax of the Commercial Taxes Department, Government of Jharkhand published vide S.O. No. 113 dated the 24th October, 2017 in the Jharkhand Gazette, Extraordinary, namely:–

In the said notification,

(i) In the Table, the column number (2) against S. No.1, after the entry, the following proviso shall be inserted, namely: -

"Provided that goods so supplied, when exports have already been made after availing input tax credit on inputs used in manufacture of such exports, shall be used in manufacture and supply of taxable goods (other than nil rated or fully exempted goods) and a certificate to this effect from a chartered accountant is submitted to the jurisdictional commissioner of GST or any other officer authorized by him within 6 months of such supply,;

Provided further that no such certificate shall be required if input tax credit has not been availed on inputs used in manufacture of export goods.";

(ii) In the Explanation against serial number 1 the words "on pre-import basis" shall be omitted.

2. This notification shall be deemed to be effective from 15th January, 2019.

[File.No Va Kar / GST / 01/ 2019]

By the order of the Governor of Jharkhand

Prashant Kumar,

Secretary-cum-Commissioner.

Note:- The principal notification No.-48/2017-State Tax was published vide S.O. No. 113 dated the 24th October, 2017 in the Jharkhand Gazette, Extraordinary.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

8 फ़रवरी, 2019

अधिसूचना सं०. 1/2019- राज्य कर

एस. ओ. संख्या- 21 दिनांक 8 फ़रवरी, 2019-- झारखण्ड सरकार, झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 147 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, झारखण्ड सरकार के वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना सं. 48/2017-राज्य कर, जिसे झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण में एस. ओ. 113 तारीख 24 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में,

(i) सारणी के स्तंभ (2) में क्रम सं. 1 के सामने प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु इस प्रकार पूर्ति किए गए माल का उपयोग, जब निर्यात, ऐसे निर्यातों के विनिर्माण में प्रयुक्त इनपुटों पर इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करने के पश्चात् पहले ही कर दिया गया हो, कराधेय माल (शून्य दर या पूर्णतः छूटप्राप्त माल से भिन्न) के विनिर्माण और पूर्ति में किया जाएगा और चार्टर्ड अकाउंटेंट से इस प्रभाव का प्रमाणपत्र, केन्द्रीय माल और सेवा कर के अधिकारिता वाले आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को, ऐसी पूर्ति के छह मास के भीतर प्रस्तुत कर दिया गया हो, ;

परंतु यह और कि यदि निर्यात माल के विनिर्माण में प्रयुक्त इनपुटों पर इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग नहीं किया गया है तो ऐसा प्रमाणपत्र अपेक्षित नहीं होगा । " ;

(ii) स्पष्टीकरण में क्रम संख्या 1 के सामने "पूर्व आयात आधार पर" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

2. यह अधिसूचना 15 जनवरी, 2019 से लागू मानी जाएगी।

[सं.सं .वा०कर/जी०एस०टी०/01/2019]

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

प्रशांत कुमार,

सचिव-सह-आयुक्त

टिप्पण :- मूल अधिसूचना सं. 48/2017- राज्य कर, झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण में एस. ओ. 113 तारीख 24 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

Printed & Published by the Superintendent of Jharkhand Government Press, Doranda, Ranchi.
Jharkhand Gazette (Extraordinary) 114 -- 50.